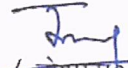


परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राज्य राजमार्ग-24 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश खण्ड के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.620 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण के सम्वन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण के पत्रांक 3201-21/1/2020 दिनांक 16 अगस्त 2021 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राज्य राजमार्ग-24 भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश खण्ड के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.620 तक के भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढिकरण के निर्माण हेतु याचित वन भूमि की राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से हवाई दूरी 497m सन्निकट आंकलित की गयी है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार के अन्तर्गत स्थित नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। भारत सरकार का पत्रांक 6-60/2020 WL दिनांक 16 जुलाई 2020 के अनुसार उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त परियोजना निर्माण हेतु जनहित में सहमति व्यक्त की जाती है।


(जे०एस० सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

65-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2747894 फैक्स-2745691 ई-मेल- director@kuvco.org

पत्रांक 1079 /12-1 देहरादून दिनांक 25 सितम्बर 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. टीम लीडर, मै० योंग्मा इन्जीनियरिंग को० लि०।


(जे०एस० सुहाग)
मुख्यवन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आइ०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

